



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/ 873

जयपुर, दिनांक: 28-12-2025

::अधिसूचना::

विभागीय अधिसूचना संख्या एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/787 दिनांक 20.11.2025 एवं संख्या एफ.15(39)पंरा/विधि/पंचायत समिति गठन/2025/828 दिनांक 21.11.2025 जिला हनुमानगढ़ की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन बाबत दिनांक 21.11.2025 एवं 24.11.2025 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 6(ग) में प्रकाशित अधिसूचनाओं में लिपिकीय त्रुटिवश गलत प्रकाशन होने की वजह से व प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण पश्चात, निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार एतद्वारा संशोधन कर शुद्धि पत्र जारी किया जाता है:-

नीचे दिये गये कॉलम संख्या 6 में अंकित विवरण के स्थान पर कॉलम 7 में अंकित विवरण को सही समझ कर पढ़ा जाये।

ग्राम पंचायतों हेतु

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	राजपत्र पृष्ठ संख्या	क्र.सं.	कॉलम संख्या	पूर्व प्रकाशित विवरण	संशोधित विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	पीलीबंगा	975	3	4	47 एलएलडब्ल्यू (सिंहपुरा)	47 एलएलडब्ल्यू (सिंहपुरा)
2	पीलीबंगा	975	4	4	अमरसिंहवाला - 39 एलएलडब्ल्यू	अमरसिंहवाला
3	पीलीबंगा	975	5	4	उमेवाला- 4 यूएमडब्ल्यू	उमेवाला
4	पीलीबंगा	975	6	4	कान्हेवाला- 26 जेआरके	कान्हेवाला
5	पीलीबंगा	979	23	3	2 आरपी (आईजीएनपी)	2 बीआरपी (आईजीएनपी)
6	पीलीबंगा	982,983	35	4	51000 आरडीमु	51000 आरडी
7	भादरा	971	2	5	6 एसडीआर	6 एसडीआर आंशिक
8	भादरा	971	4	3,5	6 एसडीआर	6 एसडीआर आंशिक
9	भादरा	972	8	5	8 जेएसएल	8 जेएसएल आंशिक
10	भादरा	972	10	3,5	8 जेएसएल	8 जेएसएल आंशिक
11	संगरिया	995	1	3	1. 19 एम.एस.के.	1. 19 एम.के.एस.

(Signature)

12	संगरिया	995	1	3	2. 16 एम.एस.के.	2. 16 एम.के.एस.
13	संगरिया	995	1	3	3. 17 एम.एस.के.	3. 17 एम.के.एस.
14	संगरिया	995	1	3	4. 18 एम.एस.के.	4. 18 एम.के.एस.
15	संगरिया	995	1	3	5. 20 एम.एस.के.	5. 20 एम.के.एस.
16	संगरिया	995	1	3	6. 1 आर.डब्ल्यू.आर.	6. 1 आर.आर.डब्ल्यू.
17	संगरिया	995	1	3	7. 14 एम.एस.के.	7. 14 एम.के.एस.
18	संगरिया	995	1	3	8. 13 एम.एस.के.	8. 13 एम.के.एस.
19	संगरिया	995	1	3	9. 15 एम.एस.के.	9. 15 एम.के.एस.
20	संगरिया	995	1	5	1. 19 एम.एस.के.	1. 19 एम.के.एस.
21	संगरिया	995	1	5	2. 17 एम.एस.के.	2. 17 एम.के.एस.
22	संगरिया	995	1	5	3. 18 एम.एस.के.	3. 18 एम.के.एस.
23	संगरिया	995	1	5	4. 20 एम.एस.के.	4. 20 एम.के.एस.
24	संगरिया	995	1	5	5. 1 आर.डब्ल्यू.आर.	5. 1 आर.आर.डब्ल्यू.
25	संगरिया	995	2	5	1. 14 एम.एस.के.	1. 14 एम.के.एस.
26	संगरिया	995	2	5	2. 13 एम.एस.के.	2. 13 एम.के.एस.
27	संगरिया	995	2	5	3. 15 एम.एस.के.	3. 15 एम.के.एस.
28	संगरिया	995	2	5	4. 16 एम.एस.के.	4. 16 एम.के.एस.
29	संगरिया	995	2	5	5. 16 एफ.पी.टी.	5. 16 एफ.टी.पी.
30	संगरिया	995	3	3	1. 20 एफ.पी.टी.	1. 20 एफ.टी.पी.
31	संगरिया	995	3	3	2. 19 एफ.पी.टी.	2. 19 एफ.टी.पी.
32	संगरिया	995	3	3	3. 16 एफ.पी.टी.	3. 16 एफ.टी.पी.
33	संगरिया	995	3	5	- 1. 20 एफ.पी.टी.	1. 20 एफ.टी.पी.
34	संगरिया	995	3	5	2. 19 एफ.पी.टी.	3. 19 एफ.टी.पी.
35	हनुमानगढ़	1002	6	5	1 एसटीडी	1 एसटीडी- ए
36	टिब्बी	996, 997	3	3	8. 3 एमजेडडब्ल्यू-एमएस	8. 3 एमजेडडब्ल्यू-एसएम
37	टिब्बी	998	8	3	4 एमएसटी(रहित)-एसएम 4 एमएसटी(सहित)-एसएम	4 एमएसटी-एसएम(रहित) 4 एमएसटी-एसएम(सहित)

208

38	टिब्बी	998	8	5	4 एमएसटी(रहित)-एसएम 4 एमएसटी(सहित)-एसएम	4 एमएसटी -एसएम(रहित) 4 एमएसटी-एसएम(सहित)
39	टिब्बी	999	14	5	राजस्व चक की क्र.सं. 2,3,4,5,6	राजस्व चक की क्र.सं. 1,2,3,4,5
40	रावतसर	993	40	4	ढाणी माहेला	ढाणी लेघान

पंचायत समितियों हेतु

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	राजपत्र पृष्ठ संख्या	क्र.सं.	कॉलम संख्या	पूर्व प्रकाशित विवरण	संशोधित विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	रावतसर	1931	4	3		50. 27 आर.डब्ल्यू. डी.
2	रावतसर	1931	4	5	29. रतनादेसर	विलोपित
3	रावतसर	1931	4	5		29. 27 आर.डब्ल्यू. डी.
4	पल्लू	1931, 1932	5	5		25. रतनादेसर
5	भादरा	1927	1	3	52. बैर	52. बैर
6	हनुमानगढ़ टाउन	1935	8	3, 5	3.रामसरा नारायण	विलोपन
7	हनुमानगढ़	1935, 1936	8	3		53. 5 एआरडब्ल्यू- ए
8	हनुमानगढ़ टाउन	1935	8	5		31. 5 एआरडब्ल्यू- ए
9	टिब्बी	1933	6	5	21. भूरानपुरा (11 आरडब्ल्यूडी)	21. भूरानपुरा (11 आरडब्ल्यूडी)
10	नोहर	1928	3	5	1. थालडका	विलोपित
11	रावतसर	1930, 1931	4	5		30. थालडका
12	रावतसर	1930 , 1931	4	3	46. ढाणी माहेला	46. ढाणी लेघान
13	पल्लू	1931, 1932	5	5	19. ढाणी माहेला	19. ढाणी लेघान

राज्यपाल की आज्ञा से

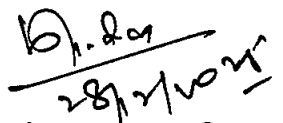
28/12/2024

(डॉ० जोगा राम)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान ।
2. अति. मुख्य सचिव मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
9. विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान ।
10. रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त एवं उप शासन सचिव
(प्रथम)